प्रतिलिपि

षटवार्षिक खतौनी

(उन क्षेत्रों हेतु जहाँ न0वि0 एक्ट लागू है।)

गाँव मुहब्बतपुर परगना मु0 बाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ सं0 1990 फसली से सं0 1995 फसली तक

खतौनी की क्रम सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते से प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	क्षेत्रफल बन्दोबस्ती हेक्टेयर में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओं का सारांश उनकी सं0 तथा दिनांक आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा अधिकृत हुआ						टिप्पणी
						स.फ.	स.फ.	स.फ.	स.फ.	स.फ.	स.फ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	इन्द्रासन, शिवनारायण व इन्द्रमणि पुत्रगण रामपारे व अरविन्द कुमार, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण इन्द्रेश व सावित्री पत्नि इन्द्रेश स्वामीगण	वा0 1क(ब)	[illegible]			आदेशानुसार [illegible]						
			9020	-074		13 [illegible]						
			9020	-002		अवार						
			9084	-073								
			9926	9.962								
			9926	-020								
			9086	9.482								
			9266	-080								
			6	3.484	124.02							

आदेशानुसार [illegible] 26.8.92 [illegible] 22.09.2006 [illegible] 16.8.13

आदेशानुसार [illegible] 26.8.92 [illegible] 2.35 [illegible] 2303 [illegible] 22-09-2006 [illegible] 30.8.2012

आदेश [illegible] 1633050 [illegible] 12.3.93 [illegible] 0.482 [illegible] 93(3) [illegible] 5.4.93

आदेश [illegible] 26.8.93 [illegible] 26.8.13

P.T.O.

(2)

आदेश (ए०-ए०) जमुरी 86/12.E.96 धारा 145 समझौता के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम मुहब्बतपुर के आ० की भाग 0.48 पर अंकित खातेदार का विवादित भाग 1.926/1.96 है जो अपना तहरीर और पक्षी क्रमशः 216.X.E. और 2.E.Z की है दिवानी शिवनरायन सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह नि० ग्राम मुहब्बतपुर का नाम खारिज होकर उनके स्थान पर दिवानी अरविन्द कुमार सिंह व देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण इन्द्रेश सिंह नि० ग्राम मुहब्बतपुर का नाम बतौर वैदल में दर्ज हो। 12.E.96

आदेश (ए०-ए०) जमुरी 87/06.6.92 धारा 145 समझौते के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम मुहब्बतपुर पर पुरवाड़ के आ० की चतुर्थी क्रमांक 48 में अंकित 5.00 भाग 9.086/9.848 है० खाते के 0.286 है० खाते के रजि० 6.248 व 206 दि० 9.E.92 व E.1.87 के आधार पर विपक्षी भौना कुंवर पत्नी रामप्यारे स्वा० के वारिसान शिवनारायन व इन्द्रमणि पुत्रगण रामप्यारे व वीरेन्द्र, नागेन्द्र पुत्रगण इन्द्रासन (पौत्रगण) व मालती पत्नी इन्द्रासन व अरविन्द कुमार व देवेन्द्र कुमार पुत्रगण इन्द्रेश (पौत्रगण) नि० ग्राम का नाम खारिज करके फौजदार पुत्र भगौती स्वा० व हलक सूबेदार पुत्र भगौती के वारिसान यशवन्त व हेमन्त कुमार पुत्रगण सूबेदार व मृतक जमादार पुत्र भगौती के वारिसान, अजय, विनय, विजय पुत्रगण जमादार व फूलमती पत्नी जमादार स्वा० का नाम बतौर वैदल नि० में दर्ज किया जाय। 06.6.92

आदेश (ए०-ए०) जमुरी 88/12.6.92 धारा 145 समझौते के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम मुहब्बतपुर पर पुरवाड़ के आ० की चतुर्थी क्रमांक 48 में 5.00 भाग 9.086/9.848 है० 0.058.X है० खाते के अंकित पर हेमन्त कुमार पुत्र सूबेदार स्वा० का नाम रजि० 6.E13E दि० 16.2.92 के आधार पर वारिस करके अरविन्द कुमार व देवेन्द्र कुमार पुत्रगण इन्द्रेश नि० ग्राम का नाम बतौर वैदल में दर्ज किया जाय। 12.6.92

आदेश (ए०-ए०) जमुरी 89/03.12.92 धारा 145 समझौता से दि० 6.E.92 के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम मुहब्बतपुर पर पुरवाड़ के आ० की चतुर्थी के खाता 48 में अंकित भाग 9.82/0.562 है० का 1/2 भाग पत्नी 0.54.X पत्नी 232.812 पत्नी मी 54.X पत्नी मी० वारिसान यशवन्त पुत्र स्व० सूबेदार स्वा० के नाम वारिस करके श्रीराम, अजय कुमार व विनय कुमार पुत्रगण जमादार स्वा० के नाम बतौर वैदल स्व० में दर्ज हो। 03.12.92

सत्य प्रतिलिपि

नकल संख्या 42
प्रार्थना पत्र प्राप्त का दिनांक 18.7.19
नकल तैयार का दिनांक 19.7.19
नकल तैयार करने का दिनांक 19.7.19
अनुमान नकल शुल्क 40.00 रुपये
फीस 5.00
हस्ताक्षर

सहायक चकबन्दी अधिकारी
बहराइच, बाराबंकी